रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03092024-256863
SG-DL-E-03092024-256863

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]	दिल्ली सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 170
No. 225]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946	[N. C. T. D. No. 170

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय–I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

संख्या–04/2024–राज्य कर

सं. फा. 3 (12)वित्त(व्यय–I)/2024–25/डीएस–I/738.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 **का** 03)(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, माल जिसके ब्यौरे इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, के अधीन आता है, के विनिर्माण में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है अर्थात्: -

1. पैकिंग मशीनों के ब्यौरे.– (1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में लगे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिसूचना के प्रभावी होने के तीस दिवस के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण का आशय रखता है, और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के पंद्रह दिवस के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

(3) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान पर संस्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरण और पैकिंग मशीन के ब्यौरे, ऐसे संस्थापन के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 6 के भाग (ख) में प्रस्तुत किए जाऐंगे ।

(4) यदि मशीनों की घोषित क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना है, तो उसे उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 6क में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1** में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जनित की जाएगी, जिसके ब्यौरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए हैं ।

(6) यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या अपनी मशीनों की उत्पादन क्षमता किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को प्रस्तुत या घोषित की है, तो ऐसी घोषणा दाखिल करने या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिवस के भीतर उसे उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 7 में प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने इस अधिसूचना के जारी होने से पहले किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को अपनी विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों की उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित की है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा यथास्थिति, विनिर्माण इकाई या मशीन के संबंध में ऐसा नवीनतम प्रमाण पत्र, उक्त अधिसूचना के जारी होने के तीस दिवस के भीतर, सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 7 में प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से निपटान की गई किसी भी विद्यमान भरण और पैकिंग मशीन के ब्यौरे, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे निपटान के सामान्य चौबीस घंटे के भीतर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाऐंगे ।

2. विशेष मासिक विवरण.-- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक मास के लिए सामान्य पोर्टल पर, ऐसे मास के आगामी मास के दसवें दिन या उससे पहले **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-II** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विशेष विवरण प्रस्तुत करेगा ।

3. चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र.-- (1) करदाता को इस अधिसूचना के पैरा 1 के अनुसार, **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-I** की सारणी 6 में, उसके द्वारा घोषित मशीनों के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर **प्ररूप जीएसटी एसआरएम-III** का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ।

(2) यदि किसी मशीन के ब्यौरे तत्पश्चात् संशोधित किए जाते हैं, तो ऐसी मशीन के संबंध में नया प्रमाणपत्र अपलोड किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान-मसाला
2.	2401	ब्रांड नाम वाला-अविनिर्मित तम्बाकू (चूने की नली के बिना)
3.	2401	ब्रांड नाम वाला-अविनिर्मित तम्बाकू (चूने की नली के साथ)
4.	2401 30 00	ब्रांड नाम वाला, अवशिष्ट तम्बाकू
5.	2403 11 10	ब्रांड नाम वाला 'हुक्का' या 'गुडाकू'
6.	2403 11 10	'हुक्का' या 'हुक्का' तम्बाकू अथवा 'गुडाकू' के रूप में ज्ञात, धूम्रपान के लिए उपयोग किया जाने वाला तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य जल पाइप धूम्रपान तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण
9.	2403 19 90	ब्रांड नाम वाला अन्य धूम्रपान तम्बाकू
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं
11.	2403 91 00	ब्रांड नाम वाला "समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू
12.	2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के साथ)
14.	2403 99 10	छनी हुई खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाले तम्बाकू से युक्त निर्मिति
16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तम्बाकू
17.	2403 99 40	नसवार
18.	2403 99 50	नसवार युक्त निर्मिति
19.	2403 99 60	ब्रांड नाम वाले तम्बाकू के निष्कर्ष और सत्व
20.	2403 99 60	तम्बाकू के निष्कर्ष और सत्व जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	तम्बाकू कर्तन
22.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा'
23.	2403 99 90	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाले से भिन्न ब्रांड नाम वाले सभी माल
24.	24039990	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाले से भिन्न बिना ब्रांड नाम वाले सभी माल।

स्पष्टीकरण -.(1) इस अनुसूची में,- "टैरिफ मद", "शीर्षक " "उपशीर्षक " और "अध्याय" से क्रमश:, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का51) की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, कोई टैरिफ मद , शीर्षक , उपशीर्षक और अध्याय अभिप्रेत है ।

(2) उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन नियम, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची की पहली धारा और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी है, जहां तक को सके, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे ।

(3) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ब्रांड नाम" पद से कोई ऐसा ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिन्ह जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लेखन जो ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपदर्शित करने के प्रयोजनों से या ऐसे विनिर्दिष्ट माल और किसी व्यक्ति के मध्य व्यापार के अनुक्रम में, उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत के साथ या बिना, ऐसे नाम या चिन्ह का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के मध्य संबंध को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है ।

प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1

पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की पैकिंग करने वाली मशीनों का रजिस्ट्रीकरण और निपटान

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिकि नाम	
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4. एआरएन	
5. फाइल करने की तारीख	

6. मशीनों के ब्यौरे

क्रम. सं.	मेक, यदि उपलब्ध हो	माडल सं., यदि कोई हो	विनिर्माता का नाम	मशीन सं.	क्रय की तारीख	स्थापना के स्थान का पता	ट्रेकों की सं.	पैकेजों का भार जो मशीनों पर पैक किया जा सकता हो (ग्रा. में	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता (पैकेजों की सं. जो किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु पैक की जा सकती हो)	पैक किए जाने वाले किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन का प्रति घंटा विद्युत उपभोग क्षमता(केउ ब्ल्यू एच)	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं. (सिस्टम द्वारा स्वसृजित की जाए)	कार्यशील प्रास्थिति (हां, नहीं)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11) (8X1)**	**(1)**	**(2)**	**(3)**
विद्यमान भाग (क)													
नए जोड़े गए भाग (ख)													

6क .मशीनों की संशोधनों के ब्यौरे

क. सं.	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं.	मेक	मॉडल सं.	विनिर्माता का नाम	मशीन सं.	क्रय की तारीख	स्थापना के स्थान का पता	ट्रेकों की सं.	पेकेजों का भार जो मशीनों पर पैक किया जा सकता है) ग्रा . में(	पैक किए जाने वाले किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु मशीन की	मशीन का प्रति घंटा विद्युत उपभोग क्षमता (केउब्ल्यू एच)	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं. (सिस्टम द्वारा स्वसृजित की जाए)	कार्यशील प्रास्थिति (हां, नहीं)	सूचीबद्ध किसी मापदंड में परिवर्तन की तारीख

										कुल पैकिंग क्षमता				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12) (9X11)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**

7. अन्य विभागों को प्रस्तुत की गई मशीनों की सूचना के ब्यौरे ।

क्र.सं.	सूचना की तारीख	सरकारी विभाग/किसी अन्य एजेंसी या संगठन का नाम	घोषणा के ब्यौरे) पीडीएफ के रूप में अपलोड किए जाएं(
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**

8. पैकिंग मशीनों का निपटान ।

क्र.सं.	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं.	मेक	माडल सं.	विनिर्माता का नाम	मशीन सं.	क्रय की तारीख	स्थापना के स्थान का पता	ट्रेकों की सं.	पैकेजों का भार जो मशीनों पर पैक किया जा सकता हो (ग्रा. में)	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता (पैकेजों की सं. जो किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु पैक की जा सकती हो)	पैक किए जाने वाले किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	निपटान की तारीख	निपटान का कारण (प्रदाय/निराकृत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**

9. उत्पाद ब्यौरे ।

क्र. सं.	ब्रांड नाम	पैकिंग प्रकार	प्रत्येक पेकेज में ग्रा .में मात्रा	एचएसएन	उत्पाद का वर्णन
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

10. अपलोड किए गए दस्तावेजों के ब्यौरे ।

1. चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण प्रत्र 2. अन्य विभागों को दी गई सूचना 3. करदाता द्वारा उल्लिखित किया जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

स्थान:

तारीख:

जीएसटी एसआरएम-1 के अनुदेश

1. **प्रयोग की गई निबंधन:**

(i) जीएसटीआईएन :माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

(ii) एचएसएन :हारमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर

(iii) एमआरपी :अधिकतम खुदरा मूल्य

(iv) केडब्ल्यूएच :प्रतिघंटा किलो वॉट

(v) पैकिंग टाइप :पाउच, जिप्पर आदि ।

2. सारणी 6: मौजूदा मशीनों का विवरण भाग-क में प्रदान किया जाना चाहिए और उसके बाद जोड़ी गई नई मशीनों का विवरण भाग-ख में प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ वार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

स्तंभ सं.	विवरण
(2).	मशीन का निर्माण, यदि उपलब्ध हो, यह प्रदान किया जाना चाहिए कि यह अर्ध-स्वचालित है या स्वचालित।
(3).	मशीन की मॉडल संख्या का उल्लेख करें, यदि उपलब्ध हो।
(4).	प्रदान की जाने वाली मशीन के निर्माता का नाम।
(5).	मशीन नंबर प्रदान किया जाना है।
(6).	आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए चालान या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज पर उल्लिखित क्रय की तारीख प्रदान की जानी है।
(7).	उस स्थान का पता जहां मशीन स्थापित की गई है, उसे प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में विनिर्माता द्वारा प्रदान किए गए कारबार के स्थानों के विवरण के आधार पर उसके लिए प्रदान किए गए ड्रॉप डाउन से चुना जाना है।
(8).	प्रदान की जाने वाली मशीन से जुड़े ट्रैक की संख्या।
(9).	पैकेज का वजन जिसे मशीन द्वारा पैक किया जा सकता है (ग्राम में) यहां घोषित किया जाना है। रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक मशीन के लिए उसी की कई प्रविष्टियाँ दर्ज कर सकता है।
(10).	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता उन पैकेजों की संख्या के संदर्भ में प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें स्तंभ 9 में घोषित

	पैकेज के विशेष वजन के लिए प्रति घंटे उक्त ट्रैक पर मशीन द्वारा पैक किया जा सकता है।
(11).	पैकेज के विनिर्दिष्ट वजन के लिए मशीन की कुल पैकिंग क्षमता जिसे पैक किया जा सकता है, की गणना पध्दति द्वारा स्तंभ 8,9 और 10 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर की जाएगी।
(12).	केडब्ल्यूएच में प्रदान की जाने वाली मशीन की बिजली खपत क्षमता।
(13).	विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या प्ररूप फाइल करने के पश्चात् मशीन को पध्दति द्वारा जनरेट किया जाएगा। विशिष्ट संख्या की संरचना जीएसटीआईएन के पश्चात् तीन अंक होंगे।
(14).	क्या मशीन काम कर रही है या स्टैंडबाय है। तदनुसार, ड्रॉप डाउन मेनू से हां या नहीं का चयन किया जाएगा।

3. सारणी 6क :सारणी 6 में पहले से प्रदान की गई या उसके पश्चात् संशोधित मशीन के विवरण में संशोधन प्रदान किया जाना है। सारणी 6 के स्तंभ 12 में पध्दति द्वारा सौंपी गई मशीन की रजिस्ट्रीकरण संख्या दर्ज करने के पश्चात्, मशीन का अन्य विवरण ऑटो-पॉपुलेट होगा। जहां भी आवश्यक हो, इसे संपादित किया जा सकता है। चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र उन मशीनों के लिए भी अपलोड किया जाएगा जिनके विवरण में संशोधन किया गया है यदि पहले अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में दिए गए विवरण में कोई बदलाव होता है और अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण सारणी 10 में दिया जाना चाहिए। मशीन के किसी भी विवरण में ऐसा कोई भी परिवर्तन, जिसमें उसकी कार्य स्थिति शामिल है, जिसे संशोधित करने की आवश्यकता है, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए उक्त परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर सूचित किया जाना है।

4. सारणी 7: अन्य विभाग को प्रस्तुत मशीनों की सूचना का विवरण प्रदान किया जाना है। प्रविष्टियां करने के बाद दस्तावेजों को पीडीएफ रूपविधान में अपलोड किया जाना चाहिए और अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण सारणी 10 में दिया जाना चाहिए।

5. सारणी 8: निपटाई गई) आपूर्ति की गई/अनुपयोगी (मशीनों का विवरण प्रदान किया जाएगा। पध्दति द्वारा मशीन को सौंपे गए रजिस्ट्रीकरण नंबर को दर्ज करने के पश्चात्, अन्य विवरण ऑटो-पॉपुलेट होंगे। निपटान की तारीख और इसके लिए कारण प्रदान किया जाना है।

6. सारणी 9: इस सारणी में प्रदान किए जाने वाले ब्रांडों का विवरण, पैकिंग प्रकार, एचएसएन और विनिर्मित उत्पादों का विवरण। यदि इस तालिका में पहले से दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो विवरण को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

7. सारणी 10: अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची :

- चार्टर्ड इंजीनियर का एकल प्रमाण पत्र मशीनों के विवरण दर्ज करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी एसआरएम-**III** के अनुसार प्रारूप में सभी मशीनों के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना है।
- चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र, प्ररूप जीएसटी एसआरएम- **III** के अनुसार रूपविधान में, उन मशीनों के लिए भी अपलोड किया जाएगा जिनके विवरण में संशोधन किया गया है यदि पहले अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में दिए गए विवरण में कोई बदलाव होता है।
- पीडीएफ रूपविधान में दस्तावेज़ अन्य विभाग को दी गई मशीनों की सूचना का विवरण प्रदान करना है।

प्ररूप जीएसटी एसआरएम-II

उपयोग किए गए निवेश का मासिक विवरण और अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माता द्वारा उत्पादित अंतिम माल

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो	
4. वित्तीय वर्ष	
5. कर अवधि	
6.एआरएन	
7. फाइल करने की तारीख	

8. निवेश का विवरण

क्रम संख्या	एच एस एन	विवरण	इकाई (यूक्यूसी)	प्रारंभिक अतिशेष	उपाप्त की गई मात्रा	उपाप्त की गई मात्रा का मूल्य (रु.)	खपत की गई मात्रा।	अंतिम अतिशेष	उत्पन्न अपशिष्ट ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

9. उत्पादन का विवरण

ब्रांड नाम	मशीन रजिस्ट्रीकरण संख्या	पैकिंग का प्रकार	प्रत्येक पैकेज में ग्राम में मात्रा।	एचएसएन	उत्पाद का विवरण।	पैक किए गए पैकेजों की संख्या	प्रति पैकेज पैक किया गया एमआरपी। (रु.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पैकेजों का कुल मूल्य (एमआरपी में)। (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) (7x8)
कुल								

10. बिजली खपत

क्रम संख्या	मीटर / डीजी सेट सं.	महीने के पहले दिन प्रारंभिक मीटर रीडिंग।	महीने के अंतिम दिन को अंतिम मीटर रीडिंग।	खपत (कि.वा.घं.)।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) विद्युत मीटर रीडिंग				
(ख) डीजी सेट मीटर रीडिंग				
(ग) सौर ऊर्जा जिसमें बैटरी है				
(घ) अन्य				

11 . ग्रिड एकीकृत सौर ऊर्जा का विवरण

क्रम संख्या .	महीने के पहले दिन प्रारंभिक मीटर रीडिंग।	महीने के अंतिम दिन को अंतिम मीटर रीडिंग।	उत्पादन/निर्यात/आयात/खपत (कि.वा.घं.)।
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) सौर मीटर रीडिंग (उत्पादन)			
(ख) बिजली मीटर रीडिंग (विद्युत का आयात)			
(ग) बिजली मीटर रीडिंग (विद्युत का निर्यात)			
(घ) शुद्ध खपत [क+ख-ग]			

12. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और वहां से कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

स्थान

तारीख

जीएसटी एसआरएम-II प्ररूप का निर्देश

1. प्रयुक्त पद :

(i) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ii) एचएसएन: नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

(iii) एमआरपी: अधिकतम खुदरा मूल्य

(iv) केडब्ल्यूएच: किलो वाट घंटा

(v) डीजी सेट: विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल जनरेटर सेट

(vi) पैकिंग का प्रकार: पाउच, ज़िपर आदि।

2. सारणी 8: अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट का ब्यौरा प्रदान करना होगा। प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ वार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

स्तंभ सं.	वर्णन
(1).	
(2).	विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के न्यूनतम 4 अंकों के स्तर पर एचएसएन रिपोर्ट किया जाना है।
(3).	एचएसएन के अनुसार माल का विवरण प्रदान किया जाना है।
(4).	ड्रॉप डाउन से चुने जाने वाले माल के मापन की इकाई।

(5).	मास के आरंभ में उपलब्ध मात्रा को पहली बार रिपोर्ट किया जाना है। अगले मास से, जानकारी पूर्ववर्ती मास के समापन शेष से ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगी।
(6).	माह के दौरान उपाप्त की गई मात्रा रिपोर्ट की जानी है।
(7).	उपाप्त की गई मात्रा की मात्रा रिपोर्ट की जानी है ।
(8).	खपत की गई मात्रा की सूचना देनी होगी ।
(9).	समापन शेष राशि स्तंभ 5 और 6 में रिपोर्ट की गई मात्रा का योग होना चाहिए जो स्तंभ 8 में रिपोर्ट की गई मात्रा से घटाई जाती है (5+6-8)
(10).	उत्पन्न अपशिष्ट, यदि कोई हो, की सूचना दी जाए।

3. स्तंभ 9: विनिर्मित उत्पादों का ब्यौरा ब्रांड वार, मशीन वार और पैकेज वार रिपोर्ट किया किया जाना है । प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ वार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

स्तंभ सं.	वर्णन
1.	प्ररूप जीएसटी एसआरएम -1 की सारणी 9 में रिपोर्ट किया गया ब्रांड, कर अवधि के दौरान उत्पादन की रिपोर्टिंग के लिए ड्रॉप डाउन से चुना जाना है।
2.	प्रणाली द्वारा समनुदेशित की गई मशीन की रजिस्ट्री संख्या रिपोर्ट की जाएगी।
3.	कर अवधि के दौरान विनिर्मित पैकिंग प्रकार अर्थात पाउच, जिपर आदि रिपोर्ट किया जाना है।
4.	पैकिंग का विवरण (प्रत्येक पैक में ग्राम में मात्रा) रिपोर्ट किया जाना है।
5.	कर अवधि के दौरान विनिर्मित वस्तुओं की एचएसएन, 8 अंकों के स्तर पर, रिपोर्ट की जानी है।
6.	रिपोर्ट की जाने वाली कर अवधि के दौरान विनिर्मित उत्पाद का विवरण।
7.	कर अवधि के दौरान पैक किए गए पैकेजों की संख्या रिपोर्ट की जानी है ।
8.	अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) रुपये प्रति पैकेज पैक की रिपोर्ट की जानी है।
9.	कर अवधि के दौरान पैक किए गए पैकेजों के एमआरपी में कुल मूल्य की गणना प्रणाली द्वारा स्तंभ 6 और 7 में दी गई जानकारी के आधार पर की जाएगी।

4. सारणी 10: मास के दौरान विद्युत खपत को रिपोर्ट किया जाना है। मास के आरंभ में विद्युत मीटर में आरंभिक रीडिंग प्रथम मास के लिए रिपोर्ट की जानी है । अगले मास से, पूर्ववर्ती मास के अंत में रिपोर्ट की गई अंतिम रीडिंग मास की प्रारंभिक रीडिंग बन जाएगी। उपयोग किए गए डीजी सेट की रीडिंग, यदि कोई हो, पृथक् रूप से रिपोर्ट की जानी चाहिए । एक से अधिक विद्युत मीटर या डीजी सेट की रीडिंग को रिपोर्ट करने के लिए, पृथक् पंक्तियां उपयोग की जाएं । इसके अलावा, मशीनों के लिए पृथक् मीटर उपलब्ध न होने की स्थिति में विनिर्माण इकाई के मुख्य मीटर की विद्युत मीटर रीडिंग भी दी जानी है। भाग ग में उल्लिखित सौर ऊर्जा केवल बैटरी ग्रिड से एकीकृत नहीं की गई बैटरियों के सृजित ऊर्जा माध्यम के संबंध में है ।

5. सारणी 11 : यहां, ग्रिड के साथ एकीकृत सौर ऊर्जा से उपभोग की गई विद्युत के ब्यौरे रिपोर्ट किए जाने हैं ।

प्ररूप जीएसटी एसआरएम -///

चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र

1. जीएसटीआईएन –
2. उन मशीनों के ब्यौरे, जिनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है -

क्रम सं॰	मेक, यदि उपलब्ध हो।	मॉडल संख्या, यदि उपलब्ध हो	विनिर्माताका नाम।	मशीन संख्या।	प्रणाली द्वारा समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण संख्या (उन मामलों में जहां सारणी 6क में मशीनों की विनिर्दिष्टि में संशोधन किया जाना है)।	क्रय करने की तारीख, यदि उपलब्ध हो।	ट्रैकों की संख्या।	पैकेजों का भार जिसे मशीन पर पैक किया जा सकता है (ग्राम में)।	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता (पैकेज के विशिष्ट वजन के लिए पैक किए गए पैकेजों की संख्या)।	पैक किए जाने वाले पैकेज के विनिर्दिष्ट वजन के लिए मशीन की कुल पैकिंग क्षमता।	मशीन की प्रति घंटा विद्युत खपत क्षमता (कि॰वा॰घ॰)।	टिप्पणी, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (8x10)	(12)	(13)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मशीनों की संख्या का परीक्षण कर लिया है और उपरोक्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और उनमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम -

रजिस्ट्रीकरण संख्या--

पता ---

मोबाइल सं0 -

तारीख :

स्थान :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय–I)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd September, 2024

No. 04/2024-State Tax

No. F. 3 (12)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/738.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person engaged in manufacturing of the goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule appended to this notification, and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, namely:—

1. Details of Packing Machines.– (1) All the registered persons engaged in manufacturing of the goods mentioned in Schedule to this notification shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of packages in **FORM GST SRM-I**, electronically on the common portal,within thirty days of coming into effect of this notification.

(2) Any person intending to manufacture goods as mentioned in the Schedule to this notification, and who has been granted registration after the issuance of this notification, shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of packages in **FORM GST SRM-I** on the common portal, within fifteen days of grant of such registration.

(3) The details of any additional filling and packing machine being installed at the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within twenty four hours of such installation in PART (B) of Table 6 of **FORM GST SRM-I.**

(4) If any change is to be made in the declared capacity of the machines, the same shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within twenty four hours of such change in Table 6A of **FORM GST SRM-I.**

(5) Upon furnishing of such details in **FORM GST SRM-I**, a unique registration number shall be generated for each machine, the details of which have been furnished by the registered person, on the common portal.

(6) In case, the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organisation, the same shall be furnished by the said registered person in Table 7 of **FORM GST SRM-I** on the common portal, within fifteen days of filing such declaration or submission:

Provided that where the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organisation, before the issuance of this notification, the latest such certificate in respect of the manufacturing unit or the machines, as the case may be, shall be furnished by the said registered person in Table 7 of **FORM GST SRM-I** on the common portal, within thirty days of issuance of this notification.

(7) The details of any existing filling and packing machine disposed of from the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within twenty four hours of such disposal in Table 8 of **FORM GST SRM-I.**

2. Special Monthly Statement.– The registered person shall submit a special statement for each month in **FORM GST SRM-II**, electronically on the common portal, on or before the tenth day of the month succeeding such month.

3. Certificate of Chartered Engineer.– (1) The taxpayer shall upload a certificate of Chartered Engineer **FORM GST SRM-III** in respect of machines declared by him, as per para 1 of this notification, in Table 6 of **FORM GST SRM-I**.

(2) If details of any machine are amended subsequently, then fresh certificate in respect of such machine shall be uploaded.

4. This notification shall come into effect from 1st day of April, 2024.

SCHEDULE

S. No.	**Chapter /Heading /Sub-heading /Tariff item.**	**Description of Goods.**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	2106 90 20	Pan-masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube)– bearing a brand name
3.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube)–bearing a brand name
4.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name
5.	2403 11 10	‘Hookah’ or ‘gudaku’ tobacco bearing a brand name
6.	2403 11 10	tobacco used for smoking ‘hookah’ or known as ‘hookah’ tobacco or ‘gudaku’ not bearing a brand name
7.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco not bearing a brand name.
8.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes
9.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name
10.	2403 19 90	Other smoking tobacco not bearing a brand name
11.	2403 91 00	“Homogenised” or “reconstituted” tobacco, bearing a brand name
12.	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube)
13.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube)
14.	2403 99 10	Filter khaini
15.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco
16.	2403 99 30	Jarda scented tobacco
17.	2403 99 40	Snuff
18.	2403 99 50	Preparations containing snuff
19.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence bearing a brand name
20.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence not bearing a brand Name
21.	2403 99 70	Cut tobacco
22.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco‘Gutkha’
23.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco ‘gutkha’, bearing a brand name
24.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco ‘gutkha’, not bearing a brand name

***Explanation*.–** (1) In this Schedule, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively, a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act,1975, including the section and chapter notes and the General Explanatory notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

(3) For the purposes of this notification, the phrase “brand name” means brand name ortrade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

FORM GST SRM-I

Registration and disposal of packing machines of pan masala and tobacco products

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. ARN	
5. Date of filing	

6. Details of the machines

Sr. No.	Make, if available.	Model no., if availa ble.	Name of manufa-cturer.	Mac-hine no.	Date of purch-ase.	Address of the place of installati-on.	No. of tracks.	Weight of package-s which can be packed on the machine (in grams).	Packing capacity of each track (No. of packageswhich can be packed for a particular weight of package).	Total packing capacity of the machine for a specific weight of package to be packed.	Electricity consumpti-on capacity of the machine per hour (KWH).	Registr-ation no. of the machine (to be auto-generate-d by the system).	Work-ing status (Y/N)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (8x10)	(12)	(13)	(14)
Part (A) Existing													
Part (B) Newly Added													

6A. Amendment to the details of machines.

S. N.	Registration no. of the machi-ne.	Make.	Model no.	Name of manufactuer.	Mac-hine no.	Date of purch-ase.	Address of place of installati-on.	No. of trac-ks.	Weight of package-s which can be packed on the machin-e (in grams).	Packing capacity of each track (No. of packages which can be packed for a particular weight of package).	Total packing capacity of the machine for a specific weight of package to be packed.	Electricity consumpti-on capacity of the machine per hour (KWH).	Working status (Y/N).	Date of change in any paramete-r listed.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (9x11)	(13)	(14)	(15)

7. Details of the intimation of the machines furnished to other departments.

Sr. No.	Date of intimation.	Name of Govt. department / any other agency or organisation.	Details of declaration (to be uploaded as pdf).
(1)	(2)	(3)	(4)

8. Disposal of the packing machines.

Sr. No.	Registration no. of the machine.	Make.	Model no.	Name of manufacturer.	Machine no.	Date of purchase.	Address of place of installation.	No. of tracks.	Weight of packages which can be packed on the machine (in grams).	Packing capacity of each track (No. of packages which can be packed for a particular weight of package)	Total packing capacity of the machine for a specific weight of package to be packed.	Date of disposal.	Reason of disposal (Supplied/ Condemned).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

9. Product details.

Sr. No.	Brand name.	Packing type.	Quantity in grams in each package.	HSN.	Description of the product.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

10. Details of the Documents uploaded.

1. Certificate of chartered engineer.
2. Information given to other departments
3. Any other document to be mentioned by taxpayer.

11. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Designation / Status

Place

Date

Instructions to Form GST SRM-1

1.Terms used:

(i) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

(ii) HSN: Harmonized System of Nomenclature

(iii) MRP: Maximum Retail Price

(iv) KWH: Kilo Watt Hour

(v) Packing type: Pouch, Zipper etc.

2. Table 6: Details of existing machines should be provided in Part-A and details of new machines added thereafter have to be provided in Part-B. Column wise details of the information to be provided is given in the table below:

Column No.	Description
(2).	Make of the machine, if available should be provided as to whether it is semi-automatic or automatic .
(3).	Mention model number of the machine, if available.
(4).	Name of the manufacturer of the machine to be provided.
(5).	Machine number to be provided.
(6).	Date of purchase as mentioned on the invoice or any other document in lieu thereof, issued by supplier, have to be provided.
(7).	Address of the place where machine has been installed has to be selected from the drop down provided for the same based on the details of places of business provided by the manufacturer in FORM GST REG-01.
(8).	Number of tracks associated with the machine to be provided.
(9).	Weight of package which can be packed by the machine (in grams) is to be declared here. The registered person can enter multiple entries of the same for each machine.
(10).	Packing capacity of each track has to be provided in terms of number of packages which can be packed by the machine on the said track per hour for the particular weight of package declared in column 9.
(11).	Total packing capacity of the machine for a specific weight of package which can be packed would be computed by System based on information provided in column 8,9 &10.
(12).	Electricity consumption capacity of the machine to be provided in KWH.
(13).	Unique registration no. of the machine would be generated by System after filing the form. Structure of the unique no. will be GSTIN followed by three digits.
(14).	Whether the machine is working or is at standby. Accordingly, Y or N to be selected from the drop down menu.

3. Table 6A: Amendment to the details of the machine already provided in Table 6 or amended thereafter to be provided. After entering registration number of the machine assigned by the System in column 12 of Table 6 , other details of the machine would be auto-populated. The same can be edited wherever required. Certificate of chartered engineer shall also be uploaded for the machines whose details have been amended if the particulars given in the certificate uploaded earlier undergoes any change and the details of the documents uploaded should be given in Table 10. Any such change in any of the details of the machine including its working status which needs to be amended, has to be communicated within twenty four hours of the said change carried out by the registered person.

4. Table 7: Details of the intimation of the machines furnished to other department have to be provided. Documents should be uploaded in pdf format after making entries and the details of the documents uploaded should be given in Table 10.

5. Table 8: Details of the machines disposed of (supplied /condemned) shall be provided. After entering registration number assigned to the machine by the System, other details would be auto-populated. Date of disposal and reason for the same to be provided.

6. Table 9: Details of the brands, packing type, HSN and description of the products manufactured to be provided in this table. If there is any change in the information already furnished in this table, the details need to be amended accordingly.

7. Table 10: List of Documents uploaded:

- Single Certificate of chartered engineer to be uploaded in pdf format for all machines in the format as per FORM GST SRM-III after entering the particulars of the machines.
- Certificate of chartered engineer, in the format as per FORM GST SRM-III, shall also be uploaded for the machines whose details have been amended if the particulars given in the certificate uploaded earlier undergoes any change.
- Document in pdf format providing details of the intimation of the machines furnished to other department have to be uploaded.

FORM GST SRM-II

Monthly Statement of inputs used and the final goods produced by the manufacturer of goods specified in the Schedule

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Financial year	
5. Tax period	
6. ARN	
7. Date of filing	

8. Details of inputs

Serial number.	HSN.	Description.	Unit. (UQC)	Opening balance.	Quantity procured.	Value of the quantity procured (Rs.).	Quantity consumed.	Closing balance.	Waste generated.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

9. Details of production

Brand name.	Machine registration number.	Packing type.	Quantity in grams in each package.	HSN.	Description of the product.	Number of packages packed.	MRP per package packed. (Rs.)	Total value (in MRP)of the packages packed by machine. (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) (7x8)
Total								

10. Power consumption

Sr. No.	Meter / DG set no.	Initial meter reading on first day of the month.	Final meter reading on the last day of the month.	Consumption (KWH).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(A) Electricity meter reading				
(B) DG set meter reading				
(C) Solar power having battery				
(D) Others				

11. Details of grid integrated solar power

Sr. No.	Initial meter reading on first day of the month.	Final meter reading on the last day of the month.	Generation/Export / Import /Consumption (KWH).
(1)	(2)	(3)	(4)
(A) Solar meter reading (Generation)			
(B) Power meter reading (Import of electricity)			
(C) Power meter reading (Export of electricity)			
(D) Net consumption [A+B-C]			

12. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Designation / Status

Place

Date

Instruction to Form GST SRM-II

1.Terms used:

(i) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

(ii) HSN: Harmonized System of Nomenclature

(iii) MRP: Maximum Retail Price

(iv) KWH: Kilo Watt Hour

(v) DG set: Diesel Generator set used for power generation

(vi) Packing type: Pouch, Zipper etc.

2. Table 8: Details of inputs used for manufacturing the goods specified in Schedule appended with the notification, have to be provided. Column wise details of the information to be provided are given in the table below:

Column No.	Description
(1).	
(2).	HSN at minimum 4 digit level of the inputs used for manufacturing to be reported.
(3).	Description of the goods as per HSN to be provided.
(4).	Unit of measurement of the goods to be selected from the drop down.
(5).	Quantity available in the beginning of the month to be reported for the first time. From next month onwards, the information will be auto-populated from the closing balance of the previous month.
(6).	Quantity procured during the month have to be reported.
(7).	Value of the quantity procured have to be provided.
(8).	Quantity consumed have to be reported.
(9).	Closing balance should be the sum of quantity reported in col. 5 & 6 reduced by quantity reported in col. 8 (5+6-8)
(10).	Waste generated, if any to be reported.

3. Table 9: Details of the products manufactured to be reported brand wise, machine wise and package wise. Column wise details of the information to be provided is given in the table below:

Column No.	Description
1.	Brand reported in table 9 of Form GST SRM-I to be selected from drop down for reporting production during the tax period.
2.	Registration number of the machine assigned by System to be reported.
3.	Packing type viz. pouch, zipper etc. manufactured during the tax period to be reported.
4.	Description of the packing (Quantity in grams in each pack) to be reported.
5.	HSN, at 8 digit level, of the goods manufactured during the tax period to be reported.
6.	Description of the product manufactured during the tax period to be reported.
7.	Number of packages packed during the tax period to be reported.
8.	Maximum Retail Price (MRP) in Rs. per package packed to be reported.
9.	Total value in MRP of the packages packed during the tax period will be computed by System based on the information provided in col. 6&7.

4. Table 10: Power consumption during the month to be reported. Initial reading of the electricity meter in the beginning of the month to be reported for the first month. From the next month onwards, the final reading reported at the end of previous month will become initial reading of the month. Reading of DG set used, if any should also be reported separately. For reporting the reading of more than one electricity meter or DG set, separate rows to be used. Also, electricity meter reading is to be given of the main meter of the manufacturing unit in case separate meter for machines is not available. Solar power mentioned at PART C pertains to only that generated through batteries not integrated with the grid.

5. Table 11. Here, details of the power consumed from solar power integrated with the grid is to be reported.

FORM OF GST SRM-III

Certificate of Chartered Engineer

1. GSTIN –

2. Details of the machines for which certificate has been issued –

Sr. No.	Make, if avail-able.	Model no., if avai-lable	Name of manufact-urer.	Mac-hine no.	Registration no. assigned by System (in cases where the amendment in specification of the machines in Table 6A to be done).	Date of purc-hase, if avail-able.	No. of trac-ks.	Weight of packages which can be packed on the machine (in grams).	Packing capacity of each track (No. of packages packed for a particular weight of package).	Total packing capacity of the machine for a specific weight of package to be packed.	Electricity consumption capacity of the machine per hour (KWH).	Remarks if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (8x10)	(12)	(13)

This is to certify that I have examined --- (no.) machines and the above details are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature
Nam
Registration numbe
Address
Mobile No

Date:
Place:

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)

sUploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.03 22:47:19 +05'30'